आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
5.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का, जवाब वाद-पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वादी वकील ने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाद ही बहस है। प्रतिवादी वकील ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी खसरा नम्बर 3566/708 गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये वाद पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता प्रतिबंधित भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः वादी का वाद-पत्र खारीज फरमाया जावे। वादी ने ग्राम डूंडी नगर पटवार हल्का भोडकी के हाल ख०न० 3566/708 रकबा 0.0660 हे० भूमि में से 271 वर्ग मीटर भूमि के अलग से नम्बर डलवाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन आवासीय दर्ज करवाने के लिये वाद-पत्र पेश किया है। जमाबंदी में ख०न० 3566/708 किस्म गै० मु० रास्ता दर्ज है। गैर मुमकीन रास्ता प्रतिबंधित भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] 4/3/22	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:26:08 IST
Reason: SelfAttested